महत्वपूर्ण

संख्या– 4681 /नौ–5–2022–244सा0/2018टी0सी0

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांक 13 अक्टूबर, 2022

विषयः प्रदेश के नगरीय निकायों के नियंत्रणाधीन सड़कों को गड्ढामुक्त किये जाने एवं नगरीय क्षेत्र में सुगम यातायात की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत है कि प्रदेश के सड़कों को गड्ढामुक्त किया जाना एवं सड़कों की रोड डायरेक्टरी तैयार किया जाना प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में सम्मिलित है एवं इस संबंध में शासन स्तर से समय–समय पर निर्देश भी निर्गत किये जाते रहे हैं। शासनादेश संख्या–10662/नौ–5–2021–244सा0/2018टी0सी0, दिनांक 24.09.2021 द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों के अधीन सड़कों को गड्ढामुक्त करने एवं नवीनीकरण/रेस्टोरेशन हेतु व्यवहारिक लक्ष्य निर्धारित करने, प्रदेश के नगरीय निकायों के अधीन समस्त सड़कों को दिनांक 30.10.2021 तक शतप्रतिशत गड्ढामुक्त किये जाने, सड़कों के गड्ढामुक्ति/नवीनीकरण/रेस्टोरेशन के कार्यों का चेकअप कराने तथा सड़कों को गड्ढामुक्त किये जाने के संबंध में संबंधित नगरीय निकाय को केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/निकाय निधि के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि का उपयोग किये जाने का निर्देश निर्गत किये गये हैं। प्रदेश के नगरीय निकायों के अधीन सड़कों को गड्ढामुक्त करने एवं नवीनीकरण/रेस्टोरेशन हेतु निर्धारित किया गया लक्ष्य व्यवहारिक नहीं है।

2– कृपया प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों के अधीन सड़कों को गड्ढामुक्त किये जाने के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जायेः–

(1) प्रदेश के नगरीय निकायों के अधीन आने वाली समस्त सड़कों की सूचना संकलित कर एक रोड डायरेक्टरी/इनवेन्ट्री तैयार की जानी है। समस्त नगर आयुक्त एवं अधिशासी अधिकारी द्वारा अपने से संबंधित निकाय के नियंत्रणाधीन समस्त सड़कों की अद्यतन फोटोग्राफ सहित सूचना निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी एवं निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा

–2–

उक्त सूचना के आधार पर प्रदेश के नगरीय निकायों के नियंत्रणाधीन सड़कों की जनपदवार एक रोड डायरेक्टरी/इनवेन्ट्री तैयार करायी जायेगी।

(2) प्रदेश के नगरीय निकायों के अधीन सड़कों को गड्ढामुक्त करने एवं नवीनीकरण/रेस्टोरेशन हेतु वास्तविक एवं व्यवहारिक लक्ष्य निर्धारित किया जाये।

(3) प्रदेश के नगरीय निकायों के अधीन समस्त सड़कों को दिनांक 24.10.2022 तक शतप्रतिशत गड्ढामुक्त किया जाये।एक माह का विशेष अभियान चलाकर सड़कों पर पाथ होल्स ठीक करने, अवैध कट एवं सड़क के ज्वाइंटर की मरम्मत का कार्य सुनिश्चित किया जाये एवं अक्रियाशील प्रकाश बिन्दुओं को क्रियाशील किया जाये।

(4) सड़कों के गड्ढामुक्ति/नवीनीकरण/रेस्टोरेशन के कार्यों का विस्तृत चेकअप करा लिया जाये।

(5) सड़कों को गड्ढामुक्त किये जाने के संबंध में संबंधित नगरीय निकाय को केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/निकाय निधि के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि का उपयोग किया जाये। सड़कों के नवीनीकरण/रेस्टोरेशन हेतु यथावश्यकता सी0एम0एन0एस0वाई0 एवं पं0 दीन दयाल उपाध्याय आर्दश नगर विकास योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव भी शासन को उपलब्ध कराये जा सकते हैं।

(6) नगरीय सीमा के अन्तर्गत बस, टैम्पों, टैक्सी के अवैध स्टैण्ड या ऐसे अन्य व्यवधानों को तत्काल हटाये जाने की कार्यवाही की जाये तथा स्थानीय पुलिस के माध्यम से यह सुनिश्चित कराया जाये कि टैम्पों, टैक्सी, बस चौराहों एवं सकरे स्थलों पर कदापि न खड़े हों।

(7) यातायात में बाधक नगर की सड़कों पर स्थित सब्जी मण्डी/वेडिंग जोन को यथा सम्भव हटाकर नगरीय निकाय के रिक्त स्थानों पर स्थापित किया जाये।

(8) शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेण्डर्स को व्यवस्थित करने के लिए वेण्डिंग जोन का चिन्हांकन करते हुये वेण्डर्स एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ टाउन वेण्डिंग कमेटी की बैठक करते हुये उक्त चिन्हित वेण्डिंग जोनों में स्ट्रीट वेण्डर्स को व्यवस्थित/स्थापित करते हुये वहां पर मूलभूत आवश्यक सुविधाओं यथा–पेयजल, प्रसाधन, प्रकाश आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

(9) नगर की सड़कों के किनारे खड़े होने वाले ट्रकों एवं अवैध पार्किंग स्थलों से सड़कों को मुक्त कराया जाये।

(10) यातायात में व्यवधान बनने वाली बेतरतीब होर्डिंग्स को हटाया जाये।

(11) सड़कों पर पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था, आटोमैटिक मोड में जलने वाली स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तिरंगे के रंग की लाइटिंग की व्यवस्था करायी जाये।

(12) स्थानीय निकायों की सड़कों पर छुट्टा पशुओं के आने से प्रायः दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं। अतएव विशेष अभियान चलाकर आवारा/छुट्टा पशुओं को पकड़कर गोआश्रय स्थलों में संरक्षित किया जाये।

(13) वर्षा ऋतु में अतिवृष्टि, बाढ़ आदि से सड़कें प्रायः क्षतिग्रस्त हो जाती है। समस्त नगर आयुक्त एवं अधिशासी अधिकारी द्वारा नगरीय निकायों में अतिवृष्टि/बाढ़ आदि

से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत पर आने वाले व्यय–भार का आकलन करा लिया जाये एवं उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु जिलाधिकारी के माध्यम से राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश से अनुरोध कर लिया जाये।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने स्तर पर मार्गवार टेण्डर की स्थिति तथा कार्य की प्रगति की समीक्षा कर लें तथा मौके पर स्वयं जाकर तथा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से स्थलीय निरीक्षण भी किया जाये। प्रत्येक दशा में सभी सड़कों को 24.10.2022 तक गड्ढामुक्त करते हुये प्रत्येक नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी के द्वारा इस आशय का एक प्रमाण–पत्र भी निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को स्वयं के हस्ताक्षर से भेजा जाये कि उनके क्षेत्र में सभी सड़कों को गड्ढामुक्त कर लिया गया है।

4– इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम उत्तर प्रदेश तथा समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही की सूचना निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी। निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा स्थानीय निकायों से प्राप्त सूचना को कम्पाइल कर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी एवं अपेक्षानुरूप कार्यवाही सुनिश्चित न करने वाले नगर निकायों के संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु अपनी संस्तुति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक, यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग/लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(4) गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।